

न्यायालय सभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर  
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्या: 137/2025 एलआर एक्ट

GCMS No. 2025/186

1. प्रकाश सिंह पुत्र लितो देवी पत्नी भागसिंह जाति जाट निवासी घाड़ जरोट तहसील नगरोटा सूरिया जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश।
2. बलवीर सिंह पुत्र लितो देवी पत्नी भागसिंह जाति जाट निवासी घाड़ जरोट तहसील नगरोटा सूरिया जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश।
3. विपन कुमार पुत्र गुरबचन सिंह जाति जाट निवासी घाड़ जरोट तहसील नगरोटा सूरिया जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश।
4. गोलडी पुत्र गुरबचन सिंह जाति जाट निवासी घाड़ जरोट तहसील नगरोटा सूरिया जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश।

अपीलांट्स

बनाम



1. कुलदीपसिंह पुत्र लहरीराम जाति जाट निवासी घाड़ जरोट तहसील नगरोटा सूरिया जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) खाजूवाला।
3. धर्मवीर पुत्र श्री दुलाराम जाति जाट निवासी 14 बीडी खाजूवाला बीकानेर।

— रेस्पोंडेंट्स

उपस्थित: श्री नरेन्द्र गौड़  
श्री दीपेन्द्र सिंह

अभिभाषक अपीलांट्स  
अभिभाषक रेस्पोंडेंट्स नं 1 व 3

निर्णय

दिनांक 23.02.2026

यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय तहसीलदार खाजूवाला के निर्णय दिनांक 06.06.2024 एवं उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला के निर्णय दिनांक 03.07.2025 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि -

- 1- वादग्रस्त भूमि चक 15 बीडीबी के मु.न. 113/38 के किला नंबर 1 ता 25 बीघा भूमि अपीलांट्स की माता व दादी लितो देवी के पिता सन्तू पुत्र बोन्कू के नमा से बतौर पोग-डेम विस्थापित के रूप में आवंटित थी। सन्तू के स्वर्गवास के पश्चात उक्त भूमि विरास्तन इंतकाल संख्या 75 दिनांक 22.08.2001 के द्वारा लितो देवी व जमना देवी के

सभागीय आयुक्त  
बीकानेर

नाम से दर्ज की गई। उक्त इंतकाल संख्या 75 के विरुद्ध अपील उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला के समक्ष प्रस्तुत हुई। उक्त अपील में उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला ने अपने निर्णय दिनांक 29.09.2014 द्वारा उक्त प्रकरण तहसीलदार खाजूवाला के समक्ष इस निर्देश के साथ रिमांड किया गया कि उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देकर निर्णय पारित करे। उक्त रिमाण्ड प्रकरण में तहसीलदार खाजूवाला ने सुनवाई करते हुए रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 की अपील स्वीकार करते हुए रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने का आदेश पारित कर दिया। अपीलाट्स ने तहसीलदार खाजूवाला उक्त आदेश के विरुद्ध अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला के समक्ष प्रस्तुत की। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला ने अपने निर्णय दिनांक 03.07.2025 द्वारा अपील सारहीन व क्षेत्राधिकार नहीं होने के आधार पर खारिज कर दी। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला के निर्णय दिनांक 03.07.2025 एवं तहसीलदार खाजूवाला के निर्णय दिनांक 06.06.2024 से व्यथित होकर अपीलाट्स ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की।

2- विद्वान अभिभाषक अपीलाट्स ने अपनी बहस में कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाट्स की माता व दादी लितो देवी को यदि विधिवत रूप से नोटिस तामील करवाई जाती तो न्यायालय के समक्ष यह रिपोर्ट आ जाती कि लीतो देवी का दिनांक 09.02.2017 को स्वर्गवास हो चुका है तो न्यायालय उसके विधिक वारिसान को पक्षकार बनाकर सुनवाई करती। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से तामील की प्रक्रिया को पूर्ण नहीं किया गया। रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 ने भी न्यायालय के समक्ष लितो देवी के विधिक वारिसान को रिकॉर्ड पर लेने की कार्यवाही निर्धारित समयावधि में नहीं किये जाने के कारण उक्त प्रकरण कानूनन स्वतः ही अबेट हो चुका था जिसके औपचारिक रूप से निर्णय लिखने की भी आवश्यकता नहीं थी। रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 को लितो देवी के स्वर्गवास होने की पूर्ण जानकारी थी क्योंकि लितो देवी व रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 स्थाई रूप से एक ही स्थान पर निवास करते चले आ रहे हैं। उक्त तथाकथित वसीयत कानून की नजर में शुरु से ही शून्य थी क्योंकि कानून के अनुसार केवल मात्र एक खातेदार ही अपनी स्वअर्जित भूमि की वसीयत कर सकता है जबकि ना तो उक्त भूमि मृतक के नाम से वसीयत करने की दिनांक को अथवा उसके जीवनकाल तक उसे खातेदारी प्राप्त हुई थी तथा ना ही उक्त भूमि उसकी स्वअर्जित भूमि थी। क्योंकि उक्त भूमि की समस्त किश्ते जमा करवने पर उक्त भूमि की खातेदारी तो दिनांक 10.01.2011 को लितो देवी को प्रदान की गई थी जिसके आधार पर उक्त भूमि की एकमात्र विधिक अधिकारी लितो देवी थी तथा उक्त खातेदारी आदेश व उसके आधार पर दर्ज इंतकाल संख्या 144 दिनांक 08.02.2011 के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं किये जाने के कारण उक्त खातेदारी अंतिम हो चुकी थी। अपीलाट्स की माता व दादी स्व. लितो देवी

राजस्थान अधिवक्ता  
दिल्ली



ने अपने जीवनकाल में अपनी उक्त वादगत खातेदारी भूमि की वसीयत दिनांक 01.09.2014 को अपीलान्त के पक्ष में रूबरू गवाहान रजिस्टर्ड वसीयत करवाकर सब रजिस्ट्रार, ज्वाली के आफिस में रजिस्टर्ड करवा दी थीं। जिसके आधार पर अपीलान्त लितो देवी के स्वर्गवास के पश्चात उक्त भूमि के एकमात्र विधिक अधिकारी एवं उत्तराधिकारी होने के कारण प्रभावित एवं आवश्यक पक्षकार होने के आधार पर अपीलान्त द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत कर समस्त महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दुओं पर ध्यान आकर्षित करवाया गया था। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला ने निर्णय दिनांक 03.07.2025 पारित करने से पूर्व अपीलधीन पत्रावली का कोई अवलोकन किये बगैर ही मनमाने ढंग से निर्णय पारित किया गया है जो कि केवल मात्र रेसपोडेन्ट संख्या 1 को नाजायज रूप से लाभ पहुंचाने की गर्ज से किया गया है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला द्वारा दिनांक 26.06.2025 को उक्त प्रकरण में बहस सुनी जाकर निर्णय हेतु पत्रावली दिनांक 03.07.2025 को रखी गई थी परन्तु दिनांक 03.07.2025 को निर्णय से पूर्व ही पत्र क्रमांक 675 दिनांक 01.07.2025 के द्वारा अपीलधीन आदेश दिनांक 06.06.2025 की पत्रावली को तहसीलदार खाजूवाला को भिजवा दिया गया जिसके कारण निर्णय दिनांक 03.07.2025 को पारित निर्णय बिना अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किये ही किया गया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के आधार पर ही निर्णय पारित किये जाने का मेन्डटरी प्राविजन है। अतः अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खाजूवाला का निर्णय दिनांक 06.06.2024 व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला का निर्णय दिनांक 03.07.2025 निरस्त फरमाते हुए अपील अपीलान्त स्वीकार की जावें। अभिभाषक अपीलान्त ने अपनी बहस में न्यायिक दृष्टांत आर.आर.जे (21) 2014 पेज नंबर 422, आरआरटी 2025(1) पेज नंबर 151, आरआरटी 2017(2) पेज 1047, आरआरटी 2009(1) पेज नंबर 139, डीएनजे 2020 पेज नंबर 419, आरआरटी 2010(2) पेज नंबर 1363, आरआरटी 2024(1) पेज नंबर 245, आरआरटी 2010(2) पेज नंबर 1459, आरआरटी 2014(1) पेज नंबर 209, डीएनजे 2021(2) पेज नंबर 935, आरआरटी 2009(2) पेज नंबर 1225, आरआरटी 2020(2) पेज नंबर 897, आरआरडी 1992 पेज नंबर 305, आरबीजे (13)2006 पेज नंबर 671 एवं Rajasthan High Court (Jaipur Bench) Guganram and other vs Deceased Gangaram and others date 12-11-2024 को अवलोकनीय बताया है।

3- विद्वान अभिभाषक रेसपोडेन्ट संख्या 2 ने अपनी बहस में कथन किया है कि उक्त प्रकरण की जानकारी होते हुए भी अपने अधिकारों के प्रति उदासीन रहने का अर्थ है आप स्वच्छ मानसिकता से न्याय नहीं चाहते और उक्त अपील का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित है। अपीलान्त के नाना सन्तु पुत्र बॉकु ने रेसपोडेन्ट संख्या 1 को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया तथा

सिमानोय आयुक्त  
बीकानेर



रजिस्टर्ड गोदनामा से गोद भी लिया और रेस्पोजेन्ट संख्या 1 ने ही जमीन की सार संभाल, किश्ते जमा करवाई और सन्तु की सेवा में ही रहा सन्तु खुश होकर जैर भूमि की रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 03.04.1989 को उप रजिस्ट्रार ज्वाली में रुबरू गवाहान तस्दीक करवाई जिसकी जानकारी लीतोदेवी व अपीलाट को थी। अपीलाट व लीतोदेवी की साठ गांठ से विरास्तन इ.सं. 75 केवल जमनादेवी व लीतोदेवी के नाम दर्ज कर उसकी पालना में इ.सं. 144 दर्ज करवाया ताकि कुलदीपसिंह को बाहर ही कर दिया जावे। जिसके विरुद्ध गुणावगुण पर अपील का निर्णय दिनांक 29.09.2014 को हुआ और जानकारी के बावजूद दस वर्ष तक पीठ पीछे कार्यवाही करते रहे लेकिन पत्रावली पर कभी उपस्थित जानबूझकर नहीं आये जो स्पष्टता प्रकरण में पेघिदगियां और जटीलता पैदा करने आधार बनाया है। अपीलाट अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 20.07.2023 को जमनादेवी के फौत बाद उसके वारिसों के नाम विरास्तन दर्ज करने का आवेदन करते है और लीतो देवी मृतक है छिपाते है और लिखते है त्रिलोकसिंह, कुलदीपसिंह व लीतोदेवी के नाम दर्ज किया जावे तो एक तरफ स्वयं आदेश इ.सं. 196 मृतक के खिलाफ दर्ज करवाते है तथा जानकारी के बावजूद रिमाण्ड पत्रावली में उपस्थित नहीं होते क्योंकि रिमाण्ड पत्रावली के पत्राचार निरन्तर 2020, 2021, 2024 के पत्र पटवारी हल्का के पास गए और अपीलाट का पटवारी हल्का के पास विरास्तन हेतु आना जाना रहा है। उसे प्रकरण की पूर्ण जानकारी थी। अपीलाट ने अपील में बताया है कि लीतोदेवी ने अपीलाट के पक्ष में दिनांक 01.09.2014 को वसीयत की थी जबकि उस दिन उक्त भूमि जैर अपील स्थगन प्रभावित थी तो लीतोदेवी वसीयत करने की अधिकारी नहीं थी तथा वसीयत थी तो अधीनस्थ न्यायालय में पेश क्यों नहीं की लीतोदेवी को जीवित बता इंतकाल संख्या 196 दर्ज करवाना कहा आवश्यक था अपीलाट ने कानून से बाहर जाकर उक्त अपील पेश की है। रेस्पोजेन्ट संख्या 1 उक्त वादगत भूमि पर काबिल काश्त है तथा 1973 से लेकर 1989 तक समस्त किस्ते प्रार्थी ने जमा करवाई तथा सिचाई आबियाना, भूमिकर, ब्याज और अन्य सोसाईटी का कर्ज रेस्पोजेन्ट संख्या 1 ने अदा किया और 1973 से आज तक का समस्त रिकॉर्ड रेस्पोजेन्ट संख्या 1 के पक्ष में है। उक्त भूमि का प्रार्थी विधिक वसियतन मालिक है तथा पारिवारिक रिश्ते यानी ब्लड रिलेशन में मृतक अपनी सम्पत्ति की वसीयत गैर खातेदारी कर सकता है और उक्त प्रकरण में रकम सन्तु के जीवित रहते जमा हो चुकी थी तथा उसे विस्थापित मिली भूमि थी केवल खातेदारी प्रपत्र जारी होना था फिर भी राज्य सरकार ने सन 1984 से वसीयत को उपनिवेशन अधिनियम के नियम 13 से बाहर रखा है उसे हस्तांतरण नहीं माना है अपीलाट किसी प्रकार से पात्र नहीं है। अपीलाट ने अपने आप को लीतोदेवी के वारिस और सन्तु की भूमि पर अधिकार जताया है जबकि इसके समर्थन में अधिकारिक कोई



रजिस्ट्रार  
जयपुर

दस्तावेज पेश नहीं किया है अतः अपील अपीलांत खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खाजूवाला का निर्णय दिनांक 06.06.2024 यथावत रखा जावें।

4- हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज एवं अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं बहस उभय पक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला ने अपने निर्णय दिनांक 03.07.2025 में अंकन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार ने धारा 135(2) में निर्णय पारित किया है ऐसे पारित आदेश में अपील सुनने का अधिकार धारा 75(1) के अन्तर्गत इस न्यायालय को होने के आधार पर सारहीन एवं क्षेत्राधिकार नहीं होने पर खारिज कर दिया। जो नियमानुसार उचित है। उक्त प्रकरण में तहसीलदार खाजूवाला ने निर्णय दिनांक 06.06.2024 करने से पूर्व हल्का पटवारी की रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसमें रेस्पोंडेंट का कब्जा काशत बताया गया और पक्षकारों को नोटिस जारी किए गए उसके पश्चात भी कोई उपरिथत नहीं आने पर प्रकरण को एक्स पार्टी किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अपीलांत को उक्त प्रकरण की पूर्ण जानकारी थी। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खाजूवाला ने प्रकरण में इंतकाल दर्ज करने का आदेश रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पारित किया। अपीलाट्स द्वारा अपीलाधीन वसीयत को किसी भी सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं करवाया है। ऐसी स्थिति में जब तक अपीलाधीन रजिस्टर्ड वसीयत किसी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया जाता, तब तक उक्त रजिस्टर्ड वसीयत को वैध माना जाएगा और उक्त रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर दर्ज इंतकाल दर्ज करने का आदेश भी वैध माना जाएगा। उपरोक्त विश्लेषण से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि हम अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 03.07.2025 एवं तहसीलदार(राजस्व) खाजूवाला के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 06.06.2024 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 03.07.2025 एवं तहसीलदार(राजस्व) खाजूवाला के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 06.06.2024 यथावत रखा जाकर अपील अपीलांत खारिज की जाती है।

6- तदनुसार प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 23.02.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(विश्राम मोना)  
संभागीय आयुक्त  
बीकानेर